

नोटिस

सभी सम्मानित अधिवक्तागण/ वादकारीगण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 31.03.2020 तक अति आवश्यक होने पर ही न्यायालय परिसर/न्यायालय कक्षों एवं कार्यालयों में प्रवेश करें, जिससे कि प्रचलित महामारी के फैलने से बचाव किया जा सके।

दिनांक 31.03.2020 तक किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी पक्ष की अनुपस्थिति में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

सर्व सम्बन्धित से जनहित में आवश्यक सहयोग अपेक्षित है।

आज्ञा से,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देहरादून